

पत्रांक:- 187 /

प्रेषक : डॉ०एम०पी०शर्मा
अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
मुख्य मलेरिया कार्यालय, बिहार, पटना।
सेवा में,
सभी जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी
(औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, गया एवं जमुई को छोड़कर)

पटना, दिनांक:- 24.02.2020

विषय:- मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना अंतर्गत श्रम क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना से बिहार के कालाजार कालाजार के रोगियों को ईलाजोपरांत 6600/- रुपये का भुगतान किया जाना है परन्तु वर्ष 2016 फरवरी से लागू इस योजना के अंतर्गत सभी कालाजार रोगियों को इसका लाभ नहीं दिया गया है। पत्र के साथ संलग्न वर्षवार प्रतिवेदित कालाजार रोगियों की संख्या एवं भुगतान किये गये रोगियों की संख्या के मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि या तो सभी रोगियों का भुगतान किया गया किन्तु प्रविष्टि KAMIS में नहीं किया गया या भुगतान ही अभी तक लंबित है।

अतः निदेशित है कि संलग्न प्रतिवेदन से जिले में लंबित भुगतान का यथाशीघ्र भुगतान कराया जाय। यदि भुगतान किया गया है तो इसकी प्रविष्टि KAMIS में की जाय।

अनु०- एक साफ्ट प्रति।

विश्वासभाजन,

अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

ज्ञापांक:- 187 / पटना, दिनांक: 24.02.2020।

प्रतिलिपि- उपरोक्त सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी